

Fundamental Rights (II)

(मौलिक अधिकार)

Join SelectionWay GS Channel

Join SelectionWay GS Channel

Shubham Gupta Sir

अनुच्छेद 12 — 'राज्य' की परिभाषा

वर्ग	इसमें शामिल
संघ सरकार	- भारत सरकार (कार्यपालिका) - भारत की संसद (विधायिका)।
राज्य सरकार	- राज्य की कार्यपालिका - राज्य विधानमंडल (विधायिका)।
स्थानीय निकाय	- नगरपालिका, पंचायत, - जिला बोर्ड, सुधार न्यास आदि।
अन्य प्राधिकरण	- विधिक या गैर-संवैधानिक प्राधिकरण - LIC, ONGC, SAIL, BSNL, GAIL।

BCCI तथा NCERT को 'राज्य' नहीं माना जाता (क्योंकि इन पर राज्य का गहन नियंत्रण/वित्तपोषण नहीं है)।

- सोमप्रकाश रेखी बनाम भारत संघ, 1981 → 'राज्य' की श्रेणी में रखने के मुख्य कसौटियाँ —
- सरकार का गहरा और व्यापक
- राज्य द्वारा वित्तपोषण (State Funding)

प्रशासनिक कार्य



प्रशासनिक कार्यों में 'राज्य' है

न्यायिक कार्य



न्यायिक निर्णय देते समय 'राज्य' नहीं

अनुच्छेद 13 — असंगत या उनका अल्पीकरण

1) अनुच्छेद 13 : मूल भाव

- राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो
 - मौलिक अधिकारों को छीने
 - मौलिक अधिकारों को कम करे
- अप्रत्यक्ष रूप से "न्यायिक पुनरावलोकन" का आधार

संरक्षण $\left\{ \begin{array}{l} \text{सुप्रीम कोर्ट - अनुच्छेद 32} \\ \text{हाईकोर्ट - अनुच्छेद 226} \end{array} \right\}$ रिट द्वारा

- विधि की परिभाषा → 13(3)
- संविधान संशोधन से संबंधित [13(4)] ⇒ सबसे विवादित

2) 13(1) → संविधान पूर्व विधियाँ

3) 13(2) → संविधान लागू होने के बाद की विधियाँ

FR से असंगत ⇒ समाप्त



- यदि पूरी विधि तो पूरी विधि समाप्त
- यदि कोई 'हिस्सा' तो मात्र वह हिस्सा समाप्त

4) 13(3) → विधि की परिभाषा ⇒ अत्यंत व्यापक

- स्थायी विधियाँ — संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम।
- अस्थायी विधियाँ — राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश (Ordinance)।
- प्रत्ययोजित विधान — आदेश, नियम, उपविधि, विनियम, अधिसूचना।
- विधि के गैर-विधायी स्रोत — विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा (custom/usage)।

5) 13(4) संविधान संशोधन (अनु 368) को "भाग-3" के संदर्भ में विधि नहीं माना जाएगा।

- 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971
- वर्तमान स्थिति (केशवानंद भारती मामला - 1973) → संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन यदि वह 'मूल ढाँचे' का उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे न्यायिक समीक्षा के तहत रद्द कर सकता है।

1. आच्छादन का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse)



संविधान-पूर्व के कानून, जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, पूर्णतः समाप्त नहीं होते; वे केवल निष्क्रिय हो जाते हैं। असंगति दूर होने पर वे पुनः प्रभावी हो सकते हैं।

मुख्य बिंदु: यह सिद्धांत मुख्यतः संविधान-पूर्व कानूनों पर लागू होता है।

प्रमुख वाद: भिकाजी नारायण धाकस बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1955)

3. अधित्याग का सिद्धांत (Doctrine of Waiver)



भारत में कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि ये अधिकार केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वजनिक महत्व भी रखते हैं।

मुख्य बिंदु: मौलिक अधिकारों का अधित्याग नहीं किया जा सकता।

प्रमुख वाद: बशेशर नाथ बनाम आयकर आयुक्त (1959)

2. पृथक्करणीयता का सिद्धांत (Doctrine of Severability)



यदि किसी कानून का केवल एक भाग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो केवल वही भाग अमान्य होगा; शेष वैध भाग प्रभावी रहेगा, यदि उसे अलग किया जा सके।

मुख्य बिंदु: पूरा कानून नहीं, केवल असंवैधानिक भाग शून्य होता है।

प्रमुख वाद: स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम एफ. एन. बलसारा (1951)

4. भविष्यलक्षी अधिनिर्णयन का सिद्धांत (Doctrine of Prospective Overruling)



न्यायालय किसी नए संवैधानिक सिद्धांत या व्याख्या को भविष्य से लागू करता है, ताकि पूर्व में किए गए कार्य या निर्णय अप्रभावित रहें।

मुख्य बिंदु: निर्णय भविष्य से लागू होता है, पूर्वव्यापी नहीं।

प्रमुख वाद: आई. सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)

Eclipse = संविधान-पूर्व कानून अस्थायी रूप से निष्क्रिय

Severability = अवैध भाग अलग, वैध भाग सुरक्षित

Waiver = मौलिक अधिकार त्यागे नहीं जा सकते

Prospective Overruling = नया नियम भविष्य से लागू

1. पृष्ठभूमि: 24 अप्रैल 1973 का महत्व

वामन राव और आई. आर. कोएल्हो दोनों ही वादों का आधार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) का फैसला है। 24 अप्रैल 1973 को ही यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके 'मूल ढाँचे' को नष्ट या बदल नहीं सकती।



2. वामन राव बनाम भारत संघ (1981)

- ❑ कट-ऑफ डेट का निर्धारण: सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती फैसले की तारीख (24 अप्रैल 1973) को एक 'लक्ष्मण रेखा' के रूप में तय किया।
- ❑ फैसला: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 से पहले 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए अधिनियमों और विनियमों को चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन, इस तारीख के बाद शामिल किए गए किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह संविधान के मूल ढाँचे को नुकसान पहुँचाता है।



3. आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007)

इसे आम तौर पर '9वीं अनुसूची केस' के नाम से जाना जाता है। 9 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से वामन राव केस के फैसले पर मुहर लगाई और उसे अधिक स्पष्टता प्रदान की।



मौलिक अधिकार : विचार, सिद्धांत और स्वर्णिम त्रिभुज

① जवाहरलाल नेहरू

“ एक मौलिक अधिकार को इस समय की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे आप संविधान में **स्थायी** (Permanent) बनाना चाहते हैं। ”

→ नेहरू जी मौलिक अधिकारों को **नागरिकों के विकास** के लिए अनिवार्य मानते थे, लेकिन साथ ही वे अधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच **संतुलन** के पक्षधर थे।

② उदार लोकतंत्र और स्वतंत्रता की सुरक्षा

एक उदार लोकतंत्र (Liberal Democracy) में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा **‘शक्तियों के पृथक्करण’** (Separation of Powers) द्वारा सुनिश्चित होती है।

इस सिद्धांत को मूल रूप से फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने प्रतिपादित किया था।



③ डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

“ ये अधिकार महज कुछ कानूनी नियम नहीं हैं, बल्कि यह देश के नागरिकों के लिए एक वादा (प्रतिज्ञा) और अंतरराष्ट्रीय समुदाय व सभ्य दुनिया के साथ किया गया एक समझौता है ”

④ मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के समूह को **‘गोल्डन ट्रायंगल’** (स्वर्णिम त्रिभुज) या **‘निमूर्ति’** कहा जाता है।

⑤ स्वर्णिम त्रिभुज का महत्व

→ ये तीनों एक-दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं — किसी एक के बिना बाकी दो अधूरे हो जाते हैं।



समानता का अधिकार

अनुच्छेद 14 से 18 (Articles 14 to 18)

अनुच्छेद 14 →
विधि के समक्ष
समानता
(Equality before Law)

अनुच्छेद 15 →
धर्म, मूलवंश, जाति,
लिंग या जन्म स्थान
के आधार पर
भेदभाव नहीं
(Prohibition of Discrimination)

अनुच्छेद 16 →
सार्वजनिक रोजगार में
अवसर की समानता
(Equality of Opportunity in Public Employment)

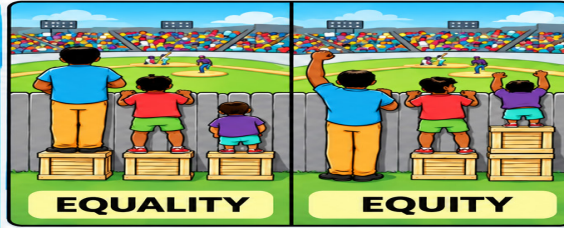
अनुच्छेद 17 →
अस्पृश्यता का अंत
(Abolition of Untouchability)

अनुच्छेद 18 →
उपाधियों का अंत
(Abolition of Titles)

अनुच्छेद 14 → विधि के समक्ष समता

विधि के समक्ष समानता (Equality before Law)

- ब्रिटिश (अल्बर्ट वेन डायसी)
- कानून सभी पर समान रूप से लागू
- नकारात्मक



विधियों का समान संरक्षण (Equal Protection of Laws)

- अमेरिका
- समान परिस्थितियों में समान व्यवहार / कानून
- सकारात्मक - युक्तियुक्त भेदभाव वर्गीकरण की अनुमति

अनुच्छेद 14 के अपवाद

- राष्ट्रपति और राज्यपाल (अनुच्छेद 361):
 - राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे।
 - अनुच्छेद 361-A : यदि कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सत्य कार्यवाही का प्रकाशन करता है, तो उसके खिलाफ कोई दीवानी या आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती।
- राजनयिक (Ambassadors and Diplomats) :
- अनुच्छेद 105 : किसी भी संसद सदस्य द्वारा संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के लिए न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।
- अनुच्छेद 194 : MLAs/MLCs
- अनुच्छेद 31-C : यदि राज्य अनुच्छेद 39 (b) या (c) को लागू करने के लिए कोई कानून बनाता है, तो उसे अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा।
 - सर्वोच्च न्यायालय → "जहां अनुच्छेद 31-C प्रवेश करता है, वहां से अनुच्छेद 14 बाहर चला जाता है।"

अनुच्छेद 15 → धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

15 (1) → राज्य केवल

- धर्म
- मूलवंश
- जाति
- लिंग
- जन्म स्थान
- ❖ आधार पर भेदभाव नहीं करेगा
 - अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है।

15 (2)

- ❖ सार्वजनिक स्थानों तक सभी की पहुंच
 - जाति
 - धर्म
 - लिंग
 - मूलवंश
 - जन्मस्थान
- के आधार पर कोई भेदभाव नहीं

- ❖ राज्य व निजी व्यक्ति → दोनों पर लागू
 - क्षेत्रीय अधिकार = राज्य के साथ-साथ कोई नागरिक भी भेदभाव नहीं कर सकता → 15 (2) + 17 + 23 + 24

15 (3)

- ❖ राज्य → महिला, बच्चे के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है
- ❖ उदाहरण
 - ◆ स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण [243D + 243T]
 - ◆ बच्चों हेतु निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा
 - ◆ मातृत्व लाभ अधिनियम 1961

15 (4)

- ❖ प्रथम संविधान संशोधन 1951 ⇒ चम्पकम दोराईराजन वाद के बाद
- ❖ राज्य उन्नति के लिए विशेष उपाय
 - ◆ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC)
 - ◆ अनुसूचित जाति (SC)
 - ◆ अनुसूचित जनजाति (ST)

15 (5)

- ❖ 93 संविधान संशोधन 2005
- ❖ शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण
 - (सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग)
 - ◆ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC)
 - ◆ अनुसूचित जाति
 - ◆ अनुसूचित जनजाति
- ❖ अशोक कुमार ठाकुर वाद 2008
 - OBC = 27% आरक्षण
 - क्रीमी लेयर की अवधारणा को वैधता

15 (6)

- 103 संविधान संशोधन 2019
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु शैक्षणिक आरक्षण ⇒ अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा
- EWS ⇒ 10% आरक्षण